मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742, e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्र0 5779 स्था./प्रनिबो/2022 भोपाल, दिनांक 22 SEP 2022

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, दफ्तरी के विरूद्ध संस्थापित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश

प्रकरण का संक्षिप्त विवरणः

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, दफ्तरी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा पर उनकी क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल पदस्थापना अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित नस्तियों को मांगे जाने पर संबंधितों को उपलब्ध कराने संबंधी दायित्व था। आपके द्वारा दिनांक 10.06.22 को कार्यालयीन समय में कार्यालय में पदस्थ श्री सलमान खान, उपयंत्री के साथ मारपीट व गालीगलौच तथा श्री जे.के. राजौरिया, कनिष्ठ वैज्ञानिक के साथ गालीगलौच करने संबंधी कृत्य हेतु बोर्ड के पत्र क्रमांक 2432, दिनांक 16/06/2022 द्वारा श्री श्रीवास्तव को आरोप पत्र जारी किया गया, जिसपर श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 14/07/2022 रामाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्त आरोपों की जांच हेतु बोर्ड के आदेश क्रमांक 3139, दिनांक 05/08/2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थापित की गई।

जांच प्रतिवेदन

जांच अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 244, दिनांक 05/09/2022 से प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में उक्त आरोप प्रमाणित पाया गया।

जांच अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर अपचारी सेवक श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव को, नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र 06/9/2022 द्वारा अवसर प्रदान किया गया। श्री श्रीवास्तव द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 19/09/2022 स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

जांच प्रतिवेदन पर प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निष्कर्ष निम्नानुसार हैंः-

श्री श्रीवास्तव द्वारा अपने उत्तर में पत्नि की अस्वस्थता से स्वयं को तनावग्रस्त होने के कारण उक्त घटना होने का उल्लेख करते हुये क्षमा याचना कर पूर्व में सम्पूर्ण सेवाकाल में ऐसा कृत्य नहीं करने तथा बोर्ड की उत्कृष्ट सेवा करते हुये सम्मानित होने व भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं करने की मांग कर पुनः क्षमा याचना की गई है।

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, दफ्तरी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के उपरांत श्री श्रीवास्तव द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न किये जाने व अधिवार्षिकी आयु के दो वर्ष से

कम अवधि शेष होने संबंधी तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत श्री श्रीवास्तव पर लघु शास्ति अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति से दण्डित किया जाता है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

(अश्वनी सिंह परिहार)
वित्तीय नियंत्रक सह प्रशासनिक अधिकारी वित्त

पृ0कमांक0 3780 स्था./प्रनिबो/2022 भोपाल, दिनांक 22 SEP 2022

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
4. वित्तीय नियंत्रक, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, दफ्तरी, क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
6. आईटी शाखा, गार्ड फाईल।

(अश्वनी सिंह परिहार)
वित्तीय नियंत्रक सह प्रशासनिक अधिकारी वित्त